

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	बिमला देवी पति-शशि भूषण प्रसाद ग्राम-चकविन्दा रोड न०-16/10 पोस्ट-अनिसाबाद थाना-गर्दनीबाग जिला-पटना एम०सी०एस-जी० 724	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अजीत कुमार पिता-स्व० लक्ष्मण प्रसाद ग्राम-डी० एन० सिंह रोड नियर कांग्रेस भवन दीप नगर पोस्ट+थाना-आदमपुर जिला-भागलपुर एम०सी०एस-जी० 663	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	पुन्नु धोबी पिता-स्व० केसरी धोबी ग्राम+पोस्ट-छोटका राजपुर थाना-तिलक राय के हाता ओ०पी०, जिला-बक्सर एम०सी०एस-एफ 97352	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सत्येन्द्र यादव पिता-स्व० सिधेशवर यादव ग्राम-सुकना बीघा पोस्ट-नेवारी थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एम०सी०एस-जी० 1376	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अजीत कुमार सिंह पिता-स्व० विरेन्द्र नारायण सिंह ग्राम-माछी पो०-भडारी थाना-बेलसंड जिला-सीतामढी एम०सी०एस-एफ 74785	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	केशर चौधरी पिता-स्व० महावीर चौधरी ग्राम-शिवचक पो०-दौलतपुर थाना-भगवानगज जिला-पटना एम०सी०एस-जी० 1034	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	प्रभु सहनी पिता-स्व० योगी सहनी ग्राम-जदु पचटकी पो०-जदु पचटकी थाना-बैरगनिया जिला-सीतामढी एम०सी०एस-एफ 98983	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	शाहजहा खातुन पति-मो० कमरुद्दीन साह ग्राम-उचौली पो०-रेगनिया थाना-मदनपुर जिला-औरंगाबाद एम०सी०एस-एफ 99143	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	नरेश भगत पिता-बौकु भगत ग्राम-गोनरचक पो० खगरा थाना-परबता जिला-भागलपुर एम०सी०एस-एफ 98019	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	जरीना पति-मो० तसलीम उद्दीन ग्राम-झौवारी पो०-गैयारी थाना-अररिया जिला-अररिया एम०सी०एस-जी० 1911	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	श्याम महतो पिता-बुचाय महतो ग्राम-प्रसाद वार्ड 7 पो०-बनकी थाना-मादेपुर जिला-मधुबनी एम०सी०एस-एफ 49555	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।

12	पानपति देवी पति—जय गोविन्द राय ग्राम—ब्रहापुर पोस्ट+थाना—फुलवारीशरीफ जिला—पटना एम0सी0एस—जी0 1950	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	महिन्द्रा सहनी पिता—नथुनी सहनी ग्राम—पकडी पो0—पूर्वी पकडी थाना—डुमरिया घाट जिला—पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस—जी0 1056	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	कुमारी कृष्णा पति—सहदेव मल्लिक ग्राम—बाघी पो0—बाघी थाना—कर्पूरीग्राम जिला—समस्तीपुर एम0सी0एस—जी0 1454	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	मिश्री पासवान पिता—नबाब राम ग्राम—बरबट्टा नियर पोस्ट आफिस पो0—सोनपुर थाना—सोनपुर जिला—सारण एम0सी0एस—एफ 99418	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	लालझरी देवी पति—सुभाष राय ग्राम—मानस नया पानापुर पोस्ट—मानस थाना दानापुर जिला पटना एम0सी0एस—जी0 1648	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	सगीता देवी पति—दूधनाथ सिंह ग्राम—चरैया पो0—मगलवार थाना—भरगामा जिला—अररिया एम0सी0एस—एफ 99280	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	मो0 कलामुल्ला पिता—मो0 मोफिजुद्दीन ग्राम—सहरिया पो0—बसगढा थाना—बरारी जिला—कटिहार एम0सी0एस—एफ 32458	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।0

19	कामेश्वर राय पिता-राम राज राय ग्राम-मुरा वार्ड 2 पो0-कदुरबाधा थाना-गरखा जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 96529	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।0
20	ललिता देवी पति-उपेन्द्र महतो ग्राम-दोस्तिया पो0-अररिया थाना-सोनबर्षा जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 96309	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	जितेन्द्र कुमार पिता-स्व0 रामाधार राम ग्राम-विकास कोलनी रोड न0-3 संदलपुर कुम्हार पो-महेन्द्रु थाना-आलमगज जिला पटना एम0सी0एस-जी0 792	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	प्रभु यादव पिता-जोखन यादव ग्राम-परसागढी पो0-परसागढी थाना-जदिया जिला-सुपौल एम0सी0एस-जी0 1098	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	जानकी देवी पति-महेन्द्र यादव ग्राम-बरगही पो0-छोटा सासाराम थाना-उदवत नगर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-जी0 962	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	लालमुनी देवी पति-डोमन राय ग्राम-कामता रौजा पोस्ट-कामता थाना बनियापुर जिला सारण एम0सी0एस-एफ 95295	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	तालामोय सोरेन पिता-महेश सोरेन ग्राम-रमना राजीगंज पो0-खुदना रूपसपुर थाना-रौतारा जिला-कटिहार एम0सी0एस-जी0 180	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	मधु कुमारी पिता देबु राय ग्राम-लोहना सुकलारहि पो0-लोहना रोड थाना-भैरव स्थान जिला मधुबनी एम0सी0एस-जी0 1510	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	मुन्नी देवी पति-ब्रजेश यादव ग्राम-धनखेता वार्ड 10 पोस्ट-गोगरी थाना-गोगरी जिला-खगडिया एम0सी0एस-जी0 959	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	मो0 रहमतुल्लाह पिता-अब्दुस समद नदाफ ग्राम-सलहा बरबट्टा पो0-बरबट्टा थाना-सराय रजन जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 1109	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	अर्जुन राय पिता-किशुन राय ग्राम-महिसारी पोस्ट-महिसारी थाना-उजियारपुर जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-जी0 1115	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	ज्ञानी देवी पति-अनन्त मौली शर्मा ग्राम-कुर्थिया पो0-रैसा थाना-चडी जिला नालदा एम0सी0एस-जी0 2376	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	सन्दु कुमार पिता-कविन्द्र सहनी ग्राम-प्राणपुर पो0-मनकठा थाना-बाउघाट जिला-शेखपुरा एम0सी0एस-एफ 88015	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	पुष्पाजली कुमारी पति-अजय कुमार ग्राम-बभनौल पोस्ट-बभनौल थाना-दावत जिला रोहतास एम0सी0एस-एफ 80260	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	हरी मंडल पिता-सीता राम मंडल ग्राम-झीटकी पोस्ट-हिसार थाना-खिरहर जिला-मधुबनी एम0सी0एस-जी0 1380	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	कैलाश राम पिता-स्व0 पुनित राम ग्राम-महथ लेन बुधनाथ पोस्ट-हेट पोस्ट आफिस थाना-आदमपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 987	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	किशोर साव पिता-सुरेश साव ग्राम-कच्ची दरगाह जेदुली पो0-कच्ची दरगाह थाना-नदी जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 1156	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	मैदा देवी पति-दशरथ महतो ग्राम-दुधिया पो0-दुधिया थाना-अकिलपुर जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 1584	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	विजय साह पिता-स्व0 राम दयाल साह ग्राम-कोठीया पो0-श्रीचन्दनपुर कोठीया थाना-बगरा जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 94614	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	इदिरा देवी पति-शिव नन्दन महतो ग्राम-फतेहचद पोस्ट-खजुरार थाना-बाढ जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 111	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	विक्रम राम पिता-बैद्यनाथ राम ग्राम बखरी पो0-योगीभाना थाना-बथनाहा जिला-सीतामढी एम0सी0एस-जी0 1798	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	अनिता देवी पति-राजन मिश्रा ग्राम-लखनीपुर पो0-पहाडपुर थाना-पहाडपुर जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 99573	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	शोभा देवी पति-ब्रजा साव ग्राम-पो0-खरौना थाना-भगवानगज जिला-पटना एम0सी0एस-जी0 06	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	हीरा देवी पति-कृष्ण कुमार पडित ग्राम-विजयपुर पोस्ट-रामपुर दाउद थाना-विशम्भरपुर जिला-गोपालगज एम0सी0एस-जी0 650	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	राम बहादुर महतो पिता-अमीरी महतो ग्राम-भटौलीया पो0-महुआवा थाना-बथनाहा जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 99783	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	मारकडेय सिंह पिता-राधा सिंह ग्राम-परमेश्वरपुर पोस्ट-सेमरी थाना-दावत जिला-रोहतास एम0सी0एस-एफ 96909	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	मो0 जमाल असारी पिता-स्व0 मो0 सलामत असारी ग्राम-पोखर बस्ती पोस्ट-फारबिसगज थाना-फारबिसगज जिला-अररिया एम0सी0एस-जी 494	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	अनिता देवी पति-धिरेन्द्र कुमार दुबे ग्राम+पो0-चाकारी थाना-दरौली जिला-सीवान एम0सी0एस-जी0 1673	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	अजमेरी निशा पति-हनीफ खॉ ग्राम-मझौली पो0-डुमरी थाना-फतेहपुर जिला-गया एम0सी0एस- एफ 84819	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	विनीता देवी पति-अरविद यादव ग्राम-ढकनी वार्ड 10 पो0-भवानी गढ रामपुर थाना-गोविन्दपुर जिला-नवादा एम0सी0एस- एफ 87365	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	रूना देवी पति-उमेश सिंह ग्राम+पो0-केसठ थाना-नावानगर जिला बक्सर एम0सी0एस- एफ 81369	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	रजीत कुमार पिता-भुटेली महतो ग्राम-'रामदास चक पो0-अकिलपुर थाना-दिघवारा जिला-सारण एम0सी0एस-जी0 1152	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	जमीला खातुन पति-हबीब खान ग्राम-मरपा वार्ड 09 पोस्ट-पिपरदादान थाना-कन्हौली जिला-सीतामढी एम0सी0एस- जी0 598	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	कारी देवी पति-रामधारी बिद ग्राम-पीरी बेलदारी पोस्ट-पीरी बाजार थाना-पीरी बाजार जिला-लखीसराय एम0सी0एस-जी0 1308	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	मनोरमा देवी पति-भृगुनाथ साह ग्राम-राजधानी पोस्ट-राजधानी थाना-तरैया जिला-सारण एम0सी0एस- एफ 97276	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	महेश मडल पिता-स्व० पैरू मडल ग्राम-सरधो पोस्ट-बिशनपुर थाना-सबौर जिला-भागलपुर एम०सी०एस- एफ 56334	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	मजुला कुमारी पति-बिमलेश कुमार ग्राम-गुलरियाचक पो०-सिविल एरोड्राम थाना-मगध मेडिकल जिला गया एम०सी०एस-ई० 80129	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	मुशरत खातुन पति-मो० सुल्तान ग्राम+पो०-बनौल थाना-नानपुर जिला-सीतामढी एम०सी०एस-ई० 7178	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
57	उषा देवी पति-परशुराम सिंह ग्राम+पो०-सरसर थाना-सिवान जिला-सिवान एम०सी०एस- एफ 89147	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	मालती सिंह पति अनिल सिंह ग्राम-सरेया वार्ड 03 पोस्ट-गोपालगज थाना-गोपालगज जिला गोपालगज एम०सी०एस- एफ 99565	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	रेशमी देवी पति-प्रकाश यादव ग्राम-भवनपुर पो०-कोरियौना थाना-थाली जिला-नवादा एम०सी०एस-जी० 2462	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
60	मनभावती देवी पति-उमा शकर साह ग्राम-सहजौली पो०-सहजौली थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर एम०सी०एस-जी० 1874	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	सुलक्षणा देवी पति-मिथलेश गोप ग्राम-कराय पर सुराय पो0+थाना-कराय पर सुराय जिला-नालदा एम0सी0एस- एफ 71140	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत ।
62	देवेन्द्र प्रसाद पिता-रामदेव प्रसाद ग्राम-मुढारी पोस्ट-मुढारी थाना-हरनौत जिला-नालदा एम0सी0एस-जी0 1460	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
63	श्याम सुन्दरी देवी पति-गया यादव ग्राम-नसरतपुर पो0-बन्देया थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-ई0 89742	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
64	मुकुल कुमार पिता-सुधाशुधर मिश्र ग्राम-बरौनी 01 पो0-बरौनी डेयोढी थाना-तेघडा जिला-बेगुसराय एम0सी0एस- एफ 99611	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
65	निर्मला देवी पति-राम उदय यादव ग्राम+पो0-पपरौरा थाना-बरौनी पी0एस0 जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-जी0 291	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
66	मजु देवी पति-स्व0 अशोक कुमार साहु ग्राम-सोहमा पो0-सोहमा थाना-विथान जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 67431	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत ।
67	नदनी देवी पति-निरजन पोद्दार ग्राम+पो0-भ्रमरपुर थाना-भवानीपुर ओ0पी0 जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 99008	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

68	मालती देवी पति—कृष्ण नन्दन सिंह ग्राम लाल दियारा पो0—खुटहा थाना— बडहिया जिला लखीसराय एम0सी0एस—एफ 51655	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	सुदामा देवी पति—डम्बर लाल यादव ग्राम—बसतपुर पो0—बसतपुर थाना—वीरपुर जिला सुपौल एम0सी0एस—जी0 760	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	सुनीता देवी पति—सीता राम साह ग्राम—पो0—सोनमा थाना बखरी जिला—बेगुसराय एम0सी0एस—जी0 2522	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	उमरावती देवी पति—रामपुकार साह ग्राम+पो0—गम्हरीया कला थाना—दरपा जिला—पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस—जी0 248	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
72	सुरेन्द्र पाल पिता— बहादुर पाल ग्राम—हरपुर भिडी वार्ड 05 पो0—हरपुर भिडी थाना—ताजपुर जिला—समस्तीपुर एम0सी0एस—डी0 56675	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
73	नजामउद्दीन पिता—अलिमउद्दीन ग्राम—सोनादीगधी वार्ड 13 पो—बहादुरगज थाना—बहादुरगज जिला—किशनगज एम0सी0एस—जी0 2340	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
74	रामजी चौधरी पिता—राम स्वरूप चौधरी ग्राम—विष्णुपुर वार्ड 42 पो0—मिर्जापुर बदुअर थाना—बेगुसराय जिला—बेगुसराय एम0सी0एस—एफ 99596	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

75	विदुल कुमार पिता-प्रदीप यादव ग्राम-रामपुर पो0-नोनसर थाना-सुल्तानगज जिला-भागलपुर एम0सी0एस-जी0 1356	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	राज किशोर ऋषिदेव पिता-बुधु ऋषिदेव ग्राम-पो0-रायभीर थाना-शकरपुर जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-जी0 1760	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
77	मजिबुर रहमान पिता-तफिलुद्दीन ग्राम-दोगच्छ वार्ड 14 पो0-बिघौर हाट थाना-बारसोई जिला-कटिहार एम0सी0एस-एफ 79642	बोन मैरो ट्रास्पलाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
78	मोहम्मद सफिरुद्दीन पिता-मोहम्मद मनीर ग्राम-बलहा पो0-नौडेगा थाना-बिरौल जिला दरभंगा एम0सी0एस-जी 1160	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	निजामुद्दीन मिया पिता-कुतुब अली ग्राम-जमुनिया वार्ड 12 पो0-बिनही थाना-भितहॉ जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस- जी0 600	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	ममता देवी पति-रामजी पासवान ग्राम-गोनपुरा पो0-मानिकपुर थाना कुर्था जिला अरवल एमसी0एस-जी0 279	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
81	मजु देवी पति-उमेश पासवान ग्राम+पो0-रघुनाथपुर थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 98794	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

82	रहमती पति कुदुस ग्राम-मैनपुरा वार्ड 13 पो0-बैरगाछी थाना-बैरगाछी जिला-अररिया एमसी0एस-एफ 80988	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
83	विजय कुमार सिंह पिता-मुन्द्रिका सिंह ग्राम+पो0-रामपुर वैना थाना-परासी जिला-अरवल एमसी0एस-जी0 703	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	सोती लाल मेहता पिता-बिपत मेहता ग्राम-बघैली पो0-महरपुर थाना-जदिया जिला-सुपौल एमसी0एस-जी0 259	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	अनिल विश्वास पिता-घनश्याम विश्वास ग्राम-तीनपनीया कसबा पो0-कसबा थाना-कसबा जिला-पूर्णिया एमसी0एस-एफ 96283	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	शर्मिला देवी पति-अनील साह ग्राम+पो0-मिरजाफरी थाना-खरीक जिला-भागलपुर एमसी0एस-जी0 1739	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	मुन्नी कुमारी पति-पवन कुमार ग्राम-टेगराहा वार्ड 13 पोस्ट-भटौनी थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा एम0सी0एस-जी0 2551	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
88	कमल सिंह पिता-कैलाश चौधरी ग्राम-चकुमर पो0-अदलपुर थाना-तिसिऔता जिला-वैशाली एमसी0एस-एफ 99117	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

89	नाजवी खातुन पति-अहमद अली ग्राम-रसूलपुर पो0-हरदी थाना-पारु जिला मुजफ्फरपुर एमसी0एस-एफ 96065	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	प्रियाशु यादव पिता-स्व0 शकर यादव ग्राम-बिशनपुर पो0-रैयाम थाना-केवटी जिला-दरभंगा एमसी0एस-ई0 87172	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	राम अनुज यादव पिता-रघुनाथ यादव ग्राम-समालीया पो0-बरगाव थाना-के0 अस्थान जिला-दरभंगा एमसी0एस-एफ 92896	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	चेतनी देवी पति-भुनेश्वर राम ग्राम-मोहीउद्दीनपुर वार्ड 06 पो0-सिसौना थाना-डडारी जिला-बेगुसराय एमसी0एस-एफ 92231	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	अनिल कुमार पिता-राम कुवर प्रसाद कुशवाहा ग्राम-पो0 मदारपुर थाना-मशरक जिला सारण एमसी0एस-एफ 99395	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
94	रिकेश कुमार पिता-अशोक राम ग्राम-डोभा नग्रह टोला पो0-डोभा थाना-रूपौली जिला-पूर्णिया एमसी0एस-जी0 1752	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
95	कृष्णा देवी पति बाल्मीकी पासवान ग्राम-चिरौरा पो0-चिरौरा थाना-नौबतपुर जिला पटना एमसी0एस-ई0 30787	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।

96	मास्टर आदित्य कुमार पिता--अमिरि कुमार ग्राम--पचरूखा पो0--मोखलिसपुर थाना बजरीया जिला--पूर्वी चम्पारण एमसी0एस--जी0 1231	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	सुरेन्द मडल पिता--अकलु मडल ग्राम--रायपुर पो0--पानी कमला थाना--अमदाबाद जिला--कटिहार एमसी0एस--एफ 99671	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	समाल बैठा पिता--सजमी बैठा ग्राम--श्यामनगर पो0--सोनापुर थाना--बथनाहा जिला--अररिया एमसी0एस--जी0 1504	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	दीपचन्द सिंह पिता--बहादुर सिंह ग्राम--डुमरीया वार्ड 04 पो0--बतराहा थाना--सोनमणि जिला--अररिया एमसी0एस--एफ 99938	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	तारा खातुन पति--मो0 अनवर आलम ग्राम--बडी सगत नियर मुरलीधर मिडिल स्कूल पोस्ट+थाना--जहानाबाद जिला--जहानाबाद एम0सी0एस--एफ 92901	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
101	रेणु देवी पति--गोपाल कुमार गुप्ता ग्राम--कोलडीहा पो0+थाना--सिरदला जिला--नवादा एम0सी0एस--जी0 55	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
102	शहनाज खातुन पति--मो0 शमशाद आलम ग्राम--डेवधा मधेया पो0--डेवधा थाना--देवधा जिला--मधुबनी एम0सी0एस--जी0 1078	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

103	छोटु नदाफ पिता-काजो नदाफ ग्राम-बनभाग पो0-परोरा थाना-के0 नगर जिला पूर्णिया एम0सी0एस-जी0 770	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
104	चुनु साह पिता-स्व0 जोधन साह ग्राम-रामपुर सिघारा पो0-सिघारा थाना-महुआ जिला वैशाली एम0सी0एस-जी0 245	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	नुनु राय पिता-आनन्द राय ग्राम+पो0-हरपुर भिडी थाना-ताजपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 66298	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
106	श्याम परी देवी पति-कृष्णा पासवान ग्राम-हरैल पोस्ट-अल्लाहगंज थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-जी0 1516	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
107	युगेश कुमार राय पिता-स्व0 राम जतन राय ग्राम-चकसलेम पो0-पटोरी थाना-शाहपुर पटोरी जिला समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 84368	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
108	आशा देवी पति- स्व0 श्रवण कुमार ग्राम- अमरुदी गली नाला रोड पेट्रोल पंप पो0- बाकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना एमसीएस न0- एफ 91176	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
109	शकर कुमार साह पिता- स्व0 योगेद्र साह ग्राम- अनवरपुर स्टेशन चौक हाजीपुर पो0+थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली एमसीएस न0- ई 87113	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

110	शहनवाज आलम पिता- स्व० मुर्तजा हुसैन ग्राम- ग्राड प्लाजा फ्रेजर रोड डकबगला चौक पो०- जीपीओ थाना- कोतवाली जिला- पटना एमसीएस न०- जी 2285	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
111	उषा देवी पति- रामेश्वर ठाकुर ग्राम- बेदौली पो०- सनेहपुर थाना- सिधवारा जिला- दरभंगा एमसीएस न०- एफ 83808	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
112	जयबुन निशा पति- नसीम सुल्तान ग्राम- तकियापर नरियाल घाट पो०- दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना एमसीएस न०- एफ 99224	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
113	तिरुपति नाथ पिता- अरुण कुमार श्रीवास्तव ग्राम- पक्षिम टोला पो०- आरा थाना- टाउन जिला- भोजपुर एमसीएस न०- एफ 48394	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
114	सीता देवी पति- हरिन्द्र सहनी ग्राम- बलिरामपुर पतैली पच्छमी पो०- पतैली थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर सीएमसी न०- एफ 90350	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			89,90,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 89,90,000/- (नवासी लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी०जी०) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

- 4 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता के प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2554 (14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 1769.83 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनिल कुमार पिता- स्व० परसुराम सिंह ग्राम- बगठिया पो०- झरना सरेन थाना- नीमचक बथानी जिला- गया सीआर न०- 108112500258185	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	भूपेन्द्र माझी पिता- रंगीला माझी ग्राम-पचभीरिया पो०- जिलकबाद थाना- गरखा जिला- सारण सीआर न०- 108112502148019	कैंसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	उमाशंकर भगत पिता- रामवृक्ष भगत ग्राम- भागर वार्ड 09 पो०- भागर थाना- सिसवन जिला- सिवान सीआर न०- 108112500911483	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	शारदा देवी पति- य० गेन्द्र पासवान ग्राम- बाधपर पो०+थाना- इस्लामपुर जिला- नालदा सीआर न०- 108112401173250	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	वेणु देवी पति- अमरनाथ झा ग्राम+पो0- सिंहौल थाना- बिहरा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112501799911	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	नैन्सी राज पिता- विकाश कुमार पाण्डेय ग्राम- नई खैराटाली यमुना विहार कॉलोनी वार्ड 11 पो0- दरियापुर थाना- परसा बाजार जिला- पटना सीआर नं0- 108112502043047	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सहमद मियां पिता- सफायत मियां ग्राम- सैदपुरा वार्ड 09 पो0- सैदपुरा थाना- गोरेयाकोठी जिला- सिवान सीआर न0- 108112300448673	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	सगीता देवी पति- मितरजन प्रसाद ग्राम- मुरादचक वार्ड 34 पो0- बरनी थाना- धनरुआ जिला- पटना सीआर न0- 108112501618216	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	इन्दु देवी पति- वरुण दिनेश ग्राम- तेली टोला पो0+थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112402505230	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	श्याम सुन्दर देवी पति- स्व0 सत्यनारायण यादव ग्राम- चाणक्यपुरी राजा बाजार पो0- गी0वी0 कॉलेज थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना सीआर न0- 108112500362536	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	राज कुमार दास पिता- जगदीश दास ग्राम- बाजितपुर करतार पो0- कुमार बाजितपुर थाना- पातेपुर जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501436061	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	श्यामलाल मोची पिता-- भूदेव मोची ग्राम--लाला भदसारा वार्ड 05 पो0-- लाला भदसारा थाना-- दुल्हिन बाजार जिला-- पटना सीआर न0-- 108112502173277	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	विमला देवी पति-- राजेद्र साह ग्राम-- सबलपुर हस्ती टोला पो0+थाना-- सोनपुर जिला-- सारण सीआर न0-- 108112502186140	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	रगीलाल पडित पिता-- खरकान पडित ग्राम-- हस्तमडल पो0-- इटहरी थाना-- सलखुआ जिला-- सहरसा सीआर न0-- 108112300217175	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	निर्मला देवी पति-- पन्नलाल हजरा ग्राम-- सिहोरवा वार्ड 14 पो0-- जोकियारी थाना-- रक्सौल जिला-- पूर्वी चम्पारण सीआर न0-- 108112501938016	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	सिफत प्रवीण पिता-- मो0 शाहिल ग्राम-- सुखासन वार्ड 09 पो0-- आरण थाना-- सहरसा जिला-- सहरसा सीआर न0-- 108112501958718	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	पुष्पलता कुमारी पति-- चिन्मय आनद ग्राम-- रघुनन्दनपुर थाना-- भगवानपुर जिला-- बेगूसराय सीआर न0-- 108112501300283	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	नवल किशोर सिंह पिता-- रामलखन सिंह ग्राम-- नन्हकार सिमरदह पो0-- नरहा थाना-- सुप्पी जिला-- सीतामढी सीआर न0-- 108112501040681	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	नीरज देवी पति- अजय कुमार सिंह ग्राम- भरहोपुर वार्ड 17 पो0+थाना- एकमा जिला- सारण सीआर न0- 108112402670401	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	दाया देवी पति- छुतहरू यादव ग्राम- जयपुरा वार्ड 01 पो0- बरदाहा थाना- धैलाढ जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112501904111	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	मो0 नाजीर पिता- नेश मोहम्मद ग्राम- हरिप्रसाद पो0+थाना- मनसाही जिला- कटिहार सीआर न0- 108112501959048	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	दिलीप मडल पिता- अधोरी मडल ग्राम- बीडी बेगा पो0- भोजपुर थाना- बरदाहा जिला- अररिया सीआर न0- 108112501214930	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	रूपेश कुमार पिता- राजेन ऋषि ग्राम- सहबज्जा वार्ड 07 पो0- झुन्नी कला थाना- कै नगर जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112501538824	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	अमिता देवी पति- राधे श्याम सिंह ग्राम- अशरफपुर वार्ड 03 पो0- सुपौल थाना- शाहपुर जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112501514712	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	बधना कुमारी पिता- रविद्र राय ग्राम- मलाही वार्ड 10 पो0- मलाही थाना- बेला जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112501948526	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	नुनाबती देवी पति- नवल मडल ग्राम- धनियागाडिया वार्ड 10 पो0- हरचडी थाना- रजौन जिला- बाका सीआर न0- 108112502013555	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	पूनम देवी पति- राजेश कुमार ग्राम- मठिया पाडेय वार्ड 10 पो0- मनियारा थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112300543595	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	मो0 कयूम पिता- मो0 नजीब ग्राम+पो0+थाना- गम्हरिया जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112300376723	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	केदार प्रसाद पिता- स्व0 रामनरेश प्रसाद ग्राम- भटवलिया वार्ड 14 पो0- कमालपुर थाना- माझागढ जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112502132198	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	ब्रह्मदेव यादव पिता- केशो यादव ग्राम- सरौनी वार्ड 01 पो0- सरौनी थाना- महिषी जिला- सहरसा सीआर न0- 108112502306391	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	प्रभावती देवी पति- प्रभु शर्मा ग्राम+पो0- परसा थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112403068798	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	दीपक शर्मा पिता- हरी मिस्त्री ग्राम- इस्ट लोहानीपुर पो0+थाना- कदमकुआ जिला- पटना सीआर न0- 108112502052844	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	श्रीकांत पासवान पिता- रामनाथ पासवान ग्राम- बीबियाचक पो0- मसत्थु थाना- बेलछी जिला- पटना सीआर न0- 108112501561877	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	तारा देवी पति- मीतन यादव ग्राम- केवाल फरियाता वार्ड 03 पो0- केवाल फरियाता थाना- खैरा जिला- जमुई सीआर न0- 108112501908320	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	जयनदन महतो पिता- निरसू महतो ग्राम- तुरकौलिया पो0- माधोपुर थाना- बथनाहा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112502105271	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	अजनी उपाध्याय पिता- रामकृत उपाध्याय ग्राम- बभनगाव वार्ड 07 पो0- गुडी थाना- कृष्णागढ जिला- भाजपुर सीआर न0- 108112502273832	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	ज्ञानी महतो पिता- राम पदार्थ महतो ग्राम- सहुरी वार्ड 04 पो0- सहुरी थाना- बीरपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112502116893	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	जासो देवी पति- चुनीलाल मिस्त्री ग्राम- बेलटिकरी पो0+थाना- डडखोरा जिला- कटिहार सीआर न0- 108112502146458	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	नाजिया नूरी पिता- मो0 जुबैर ग्राम- कचहरीपुर पो0- मधुबन बसहा थाना- बाजपट्टी जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112502052241	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	मिथिलेश साह पिता- विदेश्वर साह ग्राम- बराही वार्ड 08 पो0- बराही थाना-परिहार जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112502323813	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	पार्वती देवी पति- पकज राय ग्राम- किशनपुर टभका पो0- पडित टोला टभका थाना- बिभूतिपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112300578101	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	कुती देवी पति- कृष्णा भगत ग्राम- लीलारी वार्ड 12 पो0- मेयारी बाजार थाना- बघैला जिला- रोहतास सीआर न0- 108112502264949	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	सुधीर पासवान पिता- रति लाल पासवान ग्राम- हाजीपुर वार्ड 06 पो0- पिपरा थाना- एनटीपीसी जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112502067299	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	नीलम देवी पति- रणजीत कुमार राय ग्राम- रघुनाथपुर वार्ड 06 पो0- रघुनाथपुर थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112502053921	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	मंगल मडल पिता- गोपाल मडल ग्राम- नियर कन्या प्राथमिक विद्यालय ढोलबज्जा पो0- ढोलबज्जा थाना- फारबिसगज जिला- अररिया सीआर न0- 108112501700508	कोकलियर इम्प्लान्ट	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	लखपतिया देवी पति- शिवजी कोइरी ग्राम- ब्रह्मपुर वार्ड 01 पो0+थाना- ब्रह्मपुर जिला- बक्सर सीआर न0- 108112501977046	हीप रिप्लेसमेट	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	रीता देवी पति- राजेद्र प्रसाद ग्राम- बैरियाटाड पो0- चौकिया थाना- सिरदला जिला- नवादा सीआर नं0- 108112501376573	नी रिप्लेशमेट	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	मीना देवी पति- कपिलदेव यादव ग्राम- निसिहारा वार्ड 08 पो0- केदुआ थाना- हवेली खडगपुर जिला- मुगेर सीआर न0- 108112300931513	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	हरिचरण राम पिता- भग्गू राम ग्राम- करियाही वार्ड 04 पो0- रूसी थाना- जलालपुर जिला- सारण सीआर न0- 108112500165684	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	योगेद्र साह पिता- सियाराम साह ग्राम- कलापट्टी पो0+थाना- पिपरा जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112500163151	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	सावित्री देवी पति- शिवजी प्रसाद ग्राम- कवलपुर पो0+थाना- तुरकौलिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112502056122	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	अमेरिका देवी पति- भूपेद्र पाल ग्राम- जीवछपुर पो0- महेशपुर थाना- पिपरा जिला- सुपौल सीआर न0- 108112501713316	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	अवधेश यादव पिता- गोरी शकर यादव ग्राम+पो0- यादवपुर थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112401981739	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	जितेन्द्र माझी पिता- जमुना माझी ग्राम- जोलहबिगहा वार्ड 12 पो0- आईमा थाना- खिजरसराय जिला- गया सीआर न0- 108112401185461	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	आरोही कुमारी पिता- सुमित कुमार ग्राम- मुहम्मदपुर पो0- पिडारुची थाना- कमतोल जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112501506048	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
56	ओमप्रकाश पाडे पिता- सुदर्शन पाडे ग्राम- भकुरा पो0- आशा पररी थाना- सिमरी जिला- बक्सर सीआर न0- 108112502146474	Cataract Surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
57	सीमा देवी पति- ललन प्रसाद ग्राम- रघुरामपुर वार्ड 05 पो0- चादमारी थाना- शाहपुर जिला- पटना सीआर न0- 108112500902590	Cataract Surgery	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
58	अशोक कुमार राय पिता- दीनानाथ राय ग्राम- सिमरी दूधी पट्टी वार्ड 20 पो0+थाना- सिमरी जिला- बक्सर सीआर न0- 108112502313397	Cataract Surgery	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
59	सदीप कुमार पिता- अरुण यादव ग्राम- सीताकुड वार्ड 05 पो0- दर्यापुर थाना- मुफसिल जिला- मुगेर सीआर न0- 108112501578591	ACL defient rigut Kyee	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
60	राजेश प्रसाद पिता- हरेद्र प्रसाद ग्राम- रूपछाप पो0- दुर्ग मटिहनिया थाना- विश्वम्भरपुर जिला- गोपालगज सीआर न0- 108112402643471	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

61	सूरज कुमार पिता- सजय प्रसाद चौरसिया ग्राम- छपरा विश्वनाथि पो0- भुवन छपरा थाना- चकिया जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112300953173	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	गिरफतार खातून पति- मो0 रजा ग्राम- मोसिढा पो0+थाना- चोरौत जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112402587511	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	अम्बालिका देवी पति- रामेश्वर मिश्रा ग्राम- नई बाजार गडक कॉलोनी छपरा पो0- छपरा थाना- भगवान बाजार जिला- सारण सीआर न0- 108112300599183	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	अमर कुमार सिंह पिता- सचिदानंद प्रसाद सिंह ग्राम+पो0- हरगोविन्दपुर थाना- महनार जिला- वैशाली सीआर न0- 108112402268785	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	तनू कुमारी पिता- स्व0 नारायण सिंह ग्राम- पासवान चौक राजपुर नगर पूर्वी पो0- हाजीपुर थाना- औद्योगिक क्षेत्र जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501697574	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	उपेन्द्र राय पिता-ठाकुर राय ग्राम-सदापुर महुआ वार्ड 19 पो0-महुआ थाना-महुआ सदर जिला-वैशाली सीआरन0-108112500490526	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
67	मिश्री बिन्द पिता-बिरन बिन्द ग्राम-कुरुआ वार्ड 14 पोस्ट-जैतीपुर कुरुआ थाना-घोषी जिला-जहानाबाद सीआरन0-108112400613612	कैसर रोग	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			56,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 56,50,000/- (छप्पन लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या-

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **176783** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं0-**503 2011 9556** खाता धारक का नाम-“निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना”खाते का प्रकार-चालुबैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

जापाक 2555(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 **176783** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
09/9/25

स० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०,
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक.. .

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जवाहिर साह पिता- शिवजी साह ग्राम- बेतवनिया पो०- मनिकापुरा थाना- एकमा जिला- सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	राजेन्द्र प्रसाद पिता- स्व० मोती सिंह ग्राम- कटहल टोला पो०- सोहसराय थाना- शोहसराय जिला- नालदा	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	सजीत कुमार पिता- बाल्मीकि प्रसाद ग्राम- यारपुर नया टोला यादव भवन सरिस्ताबाद पो०- जीपीओ थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना	हृदय रोग एम्बीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	सतीश कुमार चौधरी पिता- जय प्रकाश चौधरी ग्राम- भारतीय नगर बटरहा वार्ड 36 पो०- सहरसा थाना- सहरसा जिला- सहरसा	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

5	बिनय कुमार सैनी पिता- शिवलाल मालाकार ग्राम- कासिम बाजार पो0- मुगेर थाना- कासिमबाजार जिला- मुगेर	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	बैजनाथ प्रसाद पिता- नथुन प्रसाद ग्राम- कन्दू राम की गढी पो0+थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
7	आनंद प्रसाद चौरसिया पिता- स्व0 भुनेश्वर प्रसाद चौरसिया ग्राम- सीधाटाड पो0- जयपुर थाना- कटोरिया जिला- बाका	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			7,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,60,000/- (सात लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2556 (14)

पटना, दिनांक 09/09/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक... ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामशोभित राय पिता— राम नरेश राय ग्राम— विजय मदा पो०— मदा थाना— विभूतिपुर जिला— समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सगीता देवी पति— जितेन्द्र सिंह ग्राम— साथ वार्ड 01 पो०+थाना— इटाढी जिला— बक्सर	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
3	अजय नारायण पोद्दार पिता— विश्वनाथ पोद्दार ग्राम— इन्द्राशन हाता कागजी वार्ड 25 पो०— सिवान थाना— नगर जिला— सिवान	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
4	रेणु कुमारी पति— अरुण कुमार शर्मा ग्राम— मेरा वार्ड 02 पो०+थाना— खानपुर जिला— पटना	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

5	रुना कुमारी पिता- सोनू कुमार ग्राम- डमौआ वार्ड 04 पो0+थाना- घोषी जिला- जहानाबाद	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
6	ओम प्रकाश कुमार पिता- चदेव सिंह ग्राम+पो0- बाबू अमौना थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
7	सुरेश साह पिता- शिवजी साह ग्राम- चकफैज वार्ड 04 पो0- सुक्की थाना- पातेपुर जिला- वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	विनोद कुमार सिंह पिता- जनार्दन सिंह ग्राम- चकमैगर पो0+थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	नरेन्द्र कुमार पिता- भोला राम ग्राम- हरिशकरपुर पो0- असिनचक थाना- दलसिहसराय जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	माला देवी पति- सतोष कुमार गोस्वामी ग्राम- रामनगर वार्ड 09 पो0- साधा थाना- मुफ्फसिल जिला- सारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	इनरदेव यादव पिता- बंगाली यादव ग्राम- मटियारिया पो0- मखुआ थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण	बोथ नी रिप्लेशमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
12	विनोद कुमार झा पिता- केदारनाथ झा ग्राम+पो0- कसरौर थाना- घनश्यामपुर जिला- दरभंगा	बोथ नी रिप्लेशमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

13	प्रफुल्ल कुमार पिता- रामबाबू शर्मा ग्राम- सूरतपुर विद्या गन्नीपुर पो0- बेलकुडा थाना- महुआ जिला- वैशाली	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
14	कलावती देवी पति- स्व0 विधन कानु ग्राम+पो0- आमसारी थाना- मुरार जिला- बक्सर	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
15	फुलवा देवी पति- उमा शकर सि ग्राम-अनहरीबाग पो0- हेतामपुर थाना- तीयर जिला- भोजपुर	एप्लास्टिक एनीमिया	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
16	सुखदेव चौधरी पिता- तोडील चौधरी ग्राम- नियामतपुर पो0+थाना- हरनौत जिला- नालदा	हीप रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	श्रीपति देवी पति- गौरी शंकर भगत ग्राम+पो0- सिरसिया बाजार थाना- बेला जिला- सीतामढी	स्पाईन सर्जरी	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
18	स्नेहा कुमारी पिता- धनजय कुमार ग्राम- लच्छू बिगहा पो0- पनधुल थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
19	अनीता देवी पति- सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम- शीतल टोला पो0- आरा थाना- टाउन जिला- भोजपुर	नी रिप्लेसमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
20	जानकी देवी पति- शकर सिंह ग्राम- शिशिया पो0- कातनगर थाना- बरारी जिला- कटिहार	हीप रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

21	खुबा यादव पिता- सत्यनारायण यादव ग्राम+पो0- धनकुटवा थाना- बलथर जिला- पश्चिम चम्पारण	हीप रिप्लेसमेट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	बिहू सिंह पिता- रामप्रकाश सिंह ग्राम- किशुनदेव छापर पो0+ कोयला देवा थाना- फुलवरिया जिला- गोपालगज	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
23	कैकेई देवी पति- शत्रुधन प्रसाद वर्णवाल ग्राम- अछरा पो0+थाना- मलयपुर जिला- जमुई	हृदय रोग सीएबीजी / सी आरटीडी इम्प्लांटेशन	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	खुशी कुमारी पिता- पप्पू कुमार ग्राम- टेकारी रोड पत्थर की मस्जिद पो0- महेन्द्र थाना- सुल्तानगज जिला- पटना	प्लास्टिक सर्जरी	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।
25	अजनी कुमारी पिता- लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता ग्राम- पचानपुर बार्ड 00 पो0- पचानपुर थाना- टिकारी जिला- गयाजी	Retrograde Intra Renal Surgery	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
26	सोनम कुमारी पिता- मनोज ठाकुर ग्राम- पहारचक बार्ड 06 पो0- झिगहा थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर	Paraplegia	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
27	मीना कुमारी पति- बुनेला राम ग्राम+पो0- कजरी बुजुर्ग थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
28	जयमाला देवी पति- स्व0 किशोरी सिंह ग्राम- रूपस मरुआहि पो0- कालादियारा थाना- राधोपुर जिला- वैशाली	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

29	धैर्यता देवी पति- करुणाकर झा ग्राम- सखुआ वार्ड 05 पो0- सखुआ थाना- पिपरा जिला- सुपौल	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
			21,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 21,60,000/- (इक्कीस लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सरस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2557(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई0 सी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शभु नाथ केसरी पिता- राम प्रसाद केसरी ग्राम- खास बाजार पो०+थाना- हवेली खडगपुर जिला- मुंगेर यूएचआईडी नं०-3000581579	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	नाजनीन खुर्शीदा पति- मो० शब्बीर अहमद ग्राम- महीयापुर पो०- कन्हैयाबारी थाना- कोचाधामन जिला- किशनगंज यूएचआईडी नं०-3000587157	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	अमर पासवान पिता- स्व० दाहु पासवान ग्राम- घेघाही पो०- सलेमपुर थाना- पडौल जिला- मधुबनी यूएचआईडी नं०-3000592977	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	विद्या नन्द सिंह पिता- राजेद्र सिंह ग्राम- नगहर पो०+थाना- बिक्रम जिला- पटना यूएचआईडी नं०-3000424188	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
5	धयानी कुमार पिता- उपेन्द्र मंडल ग्राम- तारानगर मालपुर पो०+थाना- मोहनपुर जिला- पूर्णियाँ यूएचआईडी नं०-3000574775	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	अविनाश कुमार पिता- महेन्द्र सिंह ग्राम+पो0- महेन्द्रपुर थाना- नयागाव पी एस जिला- बेगूसराय यूएचआईडी न0-3000571546	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	केशव राज पिता- प्रवीण कुमार सिंह ग्राम- जगरनाथपुर पो0- हरपुर फटिकवारा थाना- महनार जिला- वैशाली यूएचआईडी नं0-3000194903	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	मनटुन राय पिता- चद्रोखर राय ग्राम+पो0- देवकुलीधाम थाना- बिरौल जिला- दरभंगा यूएचआईडी न0-3000572159	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	मस्टर बिहारी लाल पिता- सत्येन्द्र यादव ग्राम- हुडहिया पो0- इतसग थाना- रहुई जिला- नालदा यूएचआईडी न0-3000584270	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
10	प्रीती कुमारी पिता- राजकुमार बिद ग्राम- सिझुआर कला पो0- ऊपरी थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ यूएचआईडी न0-3000592871	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	सुनील यादव पिता- बसावन यादव ग्राम- जासो पो0- बक्सर थाना- मुफसिल जिला- बक्सर यूएचआईडी नं0-3000592746	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
12	राकेश कुमार सिंह पिता- सतिनद सिंह ग्राम+पो0- राम शहर थाना- बडहरा जिला- भोजपुर यूएचआईडी न0-3000596387	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	रजनीश रंजन सक्सेना पिता- विनोद प्रसाद ग्राम+पो0- गोपालबाद थाना- सरमेश जिला- नालदा रजि न0- 3000597069	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

14	मो० आबिद रजा पिता— अब्दुल वाहिद रजा ग्राम— मौलाना अजाद चौक पो०— लालबाग थाना— नगर जिला— दरभंगा यूएचआईडी नं०— 3000269153	कैसर रोग	80,000	अरस्सी हजार स्वीकृत।
15	माया देवी पति— गेनो यादव ग्राम— दरहा वार्ड 10 पो०— दरहा थाना— बरहट जिला— जमुई यूएचआईडी नं०— 3000431415	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			8,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,10,000/- (आठ लाख दस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176983 ...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० **16498260000011** खाता धारक का नाम—पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी०एल०, खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम—**एच०डी०एफ०सी० बैंक लि०**, शाखा का नाम—AMBITION SAPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०—HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2558(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ज्योतिष कुमार पिता- स्व० सुरेद्र सिंह ग्राम+पो०- बहपुरा थाना- बिहटा जिला- पटना	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	सुधा देवी पति- पिन्दू कुमार ग्राम- बाजितपुर पो०- बेरथू थाना- करायपरसुराय जिला- नालदा	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	रबिन्द्र सिंह पिता- केशव सिंह ग्राम- कुतुबचक पो०- चन्द्रदीप थाना- कोवाकोल जिला- नवादा	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	सुनीता देवी पिता- धर्मेन्द्र सिंह ग्राम- खालिस पो०- कारवा थाना- उदवत नगर जिला- भोजपुर	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
5	अशेश्वर शर्मा पिता- थगन शर्मा ग्राम- कैलीटांड पो०- सहथा थाना- भगवानपुर जिला- वैशाली	स्पाइन सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

6	रेखा कुमारी पिता- गुड्डू पासवान ग्राम- सोहडीह पो0+थाना- शोहसराय जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	रामरूप सिंह पिता- स्व0 लक्ष्मी सिंह ग्राम+पो0- कन्हौली थाना- खजौली जिला- मधुबनी	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
8	फलक आशिया पिता- मो0 तौकीर ग्राम- हैदरगज कडाह पो0+थाना- सिलाव जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
9	उमा देवी पति- महेश प्रसाद ग्राम- कखडा पो0- साहसराय थाना- नूरसराय जिला- नालंदा	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	सुविका देवी पति- बटोरन गिरी ग्राम- करोड पो0- खाजहापुर थाना- चेरियाबरियारपुर जिला- बेगूसराय	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	कुमारी नदनी पिता- राजेश कुमार ग्राम- हरिदासपुर पो0- खगौल थाना- रूपसपुर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	नीरज कुमार पिता- नरेश कुमार ग्राम- ब्रह्मपुर पो0- नई जगनपुरा थाना- रामकृष्ण नगर जिला- पटना	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
13	मास्टर विराज कुमार पिता- निखिल कुमार ग्राम+पो0+थाना- दिघवारा जिला- सारण	स्पाईन सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	किरण देवी पति- रजन कुमार ग्राम+पो0+थाना- करगहर जिला- रोहतास	स्पाईन सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

15	आशीष कुमार पिता- भरत प्रसाद ग्राम- कुण्डी पो0- दारुआरा थाना- नूरसराय जिला- नालदा	स्पाईन सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	अयोध्या सिंह पिता- राम नगीना सिंह ग्राम+पो0+थाना- सासाराम जिला- रोहतास	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत
			11,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,50,000/- (ग्यारह लाख पचास हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्राउंड फ्लोर ओजन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2559(14)

पटना, दिनांक 09/09/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्वाथ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी०एम०सी०एच० लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुरेश भंडारी पिता- रामबिलाश भंडारी ग्राम+पो०- जफरा थाना- बिस्फी जिला- मधुबनी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	अफसाना खातून पति- मो० कालमुद्दीन ग्राम- तुरकौलिया बस्ती सलोनी पो०- बसंतपुर पट्टी थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	लक्ष्मण शर्मा पिता- राम बहादुर शर्मा ग्राम- हाथरा पो०- बलहा थाना- के अस्थान जिला- दरभंगा	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 1,50,000/-	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्वाथ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम-डी०एम०सी० कैम्पस, दरभंगा, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 09/9/2025

ज्ञापाक 2560 (14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ;

निदेशक/अधीक्षक,

फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,

रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक

.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिलीप यादव पिता- चंद्रदीप यादव ग्राम- मंझर पो०- वार थाना- मदनपुर जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग एमबीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अशोक कुमार प्रसाद पिता- पारस नाथ प्रसाद ग्राम- चोंदी पो०- नरही चोंदी थाना- चडी जिला- नालंदा	हृदय रोग डीभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
3	तृप्ति देवी पति- चन्द्र भूषण ग्राम- बाबुराहां पो०- अमौन थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	बुनिलाल प्रसाद पिता- हरिराम प्रसाद ग्राम- बिरता टोला पो०- नौतन दुबे थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
5	सजय कुमार मडल पिता- स्व० दशरथ मडल ग्राम+पो०- बड़हरा कोठी थाना- बी कोठी जिला- पूर्णियाँ	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

6	मुन्ना देवी पिता- हरेदव सिंह ग्राम- पंडितपुरा पो0- गारा थाना- कोचस जिला- रोहतास	हृदय रोग एमबीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	सोहराब आलम पिता- मो0 जाहिर उद्दीन ग्राम- गाँधी नीम पो0+थाना- सासाराम जिला- रोहतास	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	अमित कुमार पिता- उपेंद्र मंडल ग्राम- झाझा पो0- सरायगढ थाना- भपटियाही जिला- सुपौल	हृदय रोग पीडीए	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	शिव कुमार प्रसाद पिता- बालगोविंद प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- खुदागंज जिला- नालदा	हर्निया सर्जरी	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
10	सकली देवी पति- जयमंगल सिंह ग्राम+पो0- पीरपुर मथुरा थाना- गोरौल जिला- वैशाली	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
11	राम सेवक साव पिता- शोभा साव ग्राम+थाना- बिग्रहपुर थाना- जक्कनपुर जिला- पटना	हृदय रोग CAD, Sepsis with AKI	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			8,95,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 8,95,000/- (आठ लाख पन्चानवें हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2561(14)

पटना, दिनांक

09/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176782 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,
डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
आस्था लोक हॉस्पिटल,
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय,
ककडबाग, पटना 20

पटना, दिनांक ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रवीना कुमारी पिता-सुरेन्द्र राजवशी ग्राम-बारहरि पोस्ट-थाना-राजगीर जिला-नालंदा	Lap myomectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	स्वेता सोनी पिता-शिव नदन सिंह ग्राम-चमथा पोस्ट-बाजितपुर थाना-विद्यापति नगर जिला-समस्तीपुर	laparoscopic ovarian cystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			60,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एंड रिसर्च सेटर प्रा0 लि0"खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड स0- HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

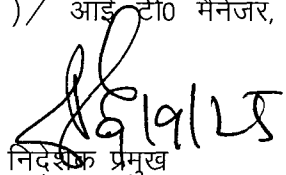
ह० /—
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2562(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एडं मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5 / जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकडबाग पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज. का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनीता देवी पति- शिव बालक पासवान ग्राम+पो०- सुइथा थाना- परसा बाजार जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अमन कुमार पिता- भूपेंद्र प्रसाद वर्मा ग्राम- माधोपुर पो०- तनसरिया थाना- तुरकौलिया जिला- पूर्वी चम्पारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	गीता देवी पति- गुलाबी राय ग्राम- अलीगज पो०+थाना- बांका जिला- बांका	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	उर्मिला देवी पति- नागेंद्र सिंह ग्राम- बिहारी बीघा पो०- डॉमिनगर थाना- अकोढीगोला जिला- रोहतास	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मन्नू कुमार पिता- बिरमानी सिंह ग्राम- चकबैरिया पो0- बैरिया थाना- गोपालपुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	किरण देवी पति- अवधेश मिश्रा ग्राम+थाना- केयाल थाना- करपी जिला- अरवल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	शिवनाथ साह पिता- स्व० छटु साह ग्राम- माझा लंगटूहाता पो0+थाना- माझागढ जिला- गोपालगज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	रीमा कुमारी पिता/पति- राम प्रसाद ग्राम- लगर टोली गली पो0- बांकीपुर थाना- कदमकुआ जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			6,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,40,000/- (छः लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- **440720110000498** खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **बैंक आफ इंडिया**, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2563(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01 /2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

बुद्धा कैसर सेटर,

नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,

रूपसपुर, बेली रोड

पटना-801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विशुनी पासवान पिता- विलट पासवान ग्राम- मनियारपुर वार्ड 01 पो0+थाना- वारिसनगर जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	भारती देवी पति- कृष्णदेव मिश्रा ग्राम- हरिपुर डिहटोल वार्ड 12 पो0- हरिपुर डिहटोल थाना- कलुआही जिला- मधुबनी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	शीला देवी पति- शत्रुघन महतो ग्राम- झंझवा वार्ड 08 पो0- पथरा थाना- माझागढ जिला- गोपालगज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	धनु देवी पति- जुगो यादव ग्राम- आम्हा वार्ड 01 पो0- आम्हा थाना- सुपौल जिला- सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अनीता देवी पति- मुन्ना राय ग्राम- ब्यापुर वार्ड 03 पो0- ब्यापुर थाना- मनेर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	जाम देवी पति- सुशील साह ग्राम- बेलहर वार्ड 08 पो0+थाना- बेलहर जिला- बाका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	पार्वती देवी पति- स्व0 बच्चू ऋषि ग्राम- बडी मुसहरी रजीगज वार्ड 07 पो0- रानीपतरा थाना- मुफरिसल जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	प्रेमलता देवी पति- विजय यादव ग्राम- टेटिया वार्ड 09 पो0+थाना- टेटिया जिला- मुंगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मो0 सलीम पिता- मो0 मनीर ग्राम- मोमिन टोला वार्ड 08 पो0- खरीक बजार थाना- खरिफ जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	भोला कोडा पिता- जेदू कोडा ग्राम- सखौल पो0- बगलवा थाना- लडैयाआड जिला- मुंगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	बच्चू मिया पिता- अब्दुल मिया ग्राम- नियर इमामबाडा गुरहट्टा वार्ड 59 पो0- पटना सिटी थाना- खजेकला जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	अजुम आरा पति- मो0 आलिम ग्राम- नौरगा वार्ड 03 पो0- तरवारा थाना- जी0बी0 नगर जिला- सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	खुसनेसा खातून पति- यासीन मिया ग्राम- रानी पकडी वार्ड 44 पो0- पिपरा पकडी थाना- मुफरिसल जिला- पश्चिम चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	विभा देवी पति- मुनेश्वर सहनी ग्राम- चकलाधो वार्ड 11 पो0- वेदौलिया थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	मो0 रईस आलम पिता- स्व0 मो0 इदरीस ग्राम- भैसापुर वार्ड 26 पो0- बिहारशरीफ थाना- लहेरी जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मो0 मुख्तार आलम पिता- मशीना बीबी ग्राम- सोनी पो0+थाना- करगहर जिला- रोहतास	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			12,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,60,000/- (बारह लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2564(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196963 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई की मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0- 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सरथान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सतेद्र राउत पिता- सुरेश राउत ग्राम+पो0- लाल बिगहा थाना- काशीचक जिला- नवादा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	मो0 साकीर आलम पिता- हासीम ग्राम- कमरा पो0- माधेपुर थाना- बलरामपुर जिला- कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	ऋषिकेश कुमार पिता- अनिल कुमार सिंह ग्राम- हिमाद्रि अपार्टमेंट फ्लैट न0- ग/4 आनंदपुरी वेस्ट बोरिंग रोड पो0- जी पी ओ थाना- एस के पुरी जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	बिजली देवी पति- रघुनाथ सिंह ग्राम- उफरौल वार्ड 01 पो0- उफरौल थाना- देसरी जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मणिकात झा पिता- निशीकात झा ग्राम+पो0- बभनगामा थाना- बिहारीगज जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	सोवरा खातून पति- मोजमिल असारि ग्राम- श्रीपुर बसतपुर पो0- श्रीपुर बाजार थाना- सुगौली जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	नन्द कुमार साह पिता- हीरा साह ग्राम+पो0- खजुरिया थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	किरण देवी पति- उदय प्रताप साह ग्राम- भरपुर पो0+थाना- सोनपुर जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सकीना खातून पिता- कमरुद्दीन साई ग्राम- हनुमानगज कतलपुर पो0+थाना- मशरक जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	सफीना खातून पति- मो0 जियाउल ग्राम- कासिमपुर पो0- अबजूगज थाना- सुल्तानगज जिला- भागलपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			7,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,60,000/- (सात लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2565(14)

पटना, दिनांक 09/9/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0'14 / एम-11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
डा० बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि०) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक ..

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सरोज देवी पति-राम प्रसाद ग्राम-द्रवी लेन सगुना पोस्ट-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला-पटना	Hiatus Hernia	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	सुनीता देवी पति-मनोज साव ग्राम-गंधीमूर्ति वार्ड 16 पोस्ट-दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला-पटना	Abdomen Micturition	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
3	उर्मिला कुमारी पति विद्या शंकर पटेल ग्राम-जलालपुर पोस्ट+थाना-करगहर जिला-रोहतास	Lap Cholecystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 75,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) ₹० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-442820110000158 खाता धारक का नाम-DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम-बोरिंग

कनेल रोड, पटना, बिहार-800001 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004428 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2566(14)

पटना, दिनांक 09/9/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
बीग अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सार्त निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	संगीता कुमारी पति— अनिल साव ग्राम+पो+थाना— तैतरहाट जिला— लखीसराय	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	प्रेमी देवी पति— रामनारायण प्रसाद ग्राम— तिलकहानी पो— रघुनाथपुर थाना— रामगढवा जिला— पूर्वी चम्पारण	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			1,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक,(गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को



कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 25/7(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) /आई बी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



सं0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ट्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हार ब्रिज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लालपरी देवी पति- सुरेश राय ग्राम- मजीराबाद पो0- शुभई थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	स्पाईन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	सुरेंद्र सिंह पिता- आस्करण सिंह ग्राम- खरोज पो0+थाना- कल्या जिला- जहानाबाद	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	सोनी देवी पति- लल्लू यादव ग्राम- बी एन आर रोड पथरी घाट पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगंज जिला- पटना	हीप रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			3,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 33569032861 खाता धारक का नाम- "ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम



—गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0001496 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 09/01/2023

ज्ञापांक 2568(14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एडं रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शम्भू चौपाल पिता- देव नारायण दास ग्राम+पो०- तेतराही थाना- बिथान जिला- समस्तीपुर केस फाईल नं०- 19एफ2025/001154	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	शीला देवी पति- शिव पूजन पासवान ग्राम- हरिदासपुर पो०- खगौल थाना- रूपसपुर जिला- पटना केस फाईल नं०- 19एफ2024/001452	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	विजय श्रीवास्तव पिता- स्व० राज किशोर श्रीवास्तव ग्राम- बेला छपड़ा पो०- एम०आई०सी० बेला थाना- बेला जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं०- 19 एफ 2025/003596	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	राम नरेश सिंह पिता- चलित्तर सिंह ग्राम- असनगर पो०- बकटपुर थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं०- 19 एफ 2023/000845	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

5	खुशबूदीन पिता— अली हसन ग्राम— दामोदरपुर पो0— मिर्जापुर थाना— मढौरा जिला— सारण केस फाईल न0— 19 एफ 2024/004634	कैंसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
6	कमल किशोर शर्मा पिता— स्व0 भगवत शर्मा ग्राम— हरपुरा पो0— महमदपुर थाना— बिक्रम जिला— पटना केस फाईल न0— 11 एफ 2025/009789	कैंसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
7	प्रियका कुमारी पति— मनोज राय ग्राम— पचटकी राम पो0— पचटकी यदु थाना— बैरगनिया जिला— सीतामढी केस फाईल न0— 19 एफ 2025/003926	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			4,40,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,40,000/- (चार लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0—TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम—“होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, एंड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर”, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम—RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 00000084 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 25/9/14)

पटना, दिनांक 09/9/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
मेडिवर्सल सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
(यूनिट आफ मेडिवर्सल हेल्थकेयर प्रा० लि०)
डाक्टर कोलनी 90 फीट रोड,
कंकडबाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लाल बाबू कुमार पिता- आनेश भगत ग्राम+पो०- राजेपुर थाना- साहेबगंज जिला- मुजफ्फरपुर	ट्रामा	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-00030400000914 खाता धारक का नाम- "Mediversal Health Care Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- बैंक आफ बड़ौदा, शाखा का नाम पटना मेन ब्रांच, पटना RTGS/IFSC कोड स० BARBOPATNAX में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने

से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code-SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2570(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 176983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक..... ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन सख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	राम कृत राय पिता— राम धारी राय ग्राम— कचहरीपुर पो०— बदरझूला थाना— सोनबरसा जिला— सीतामढी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सक्षम कुमार पिता— चन्दन कुमार सिंह ग्राम— उसुरी कला वार्ड 09 पो०— उसुरी कलां थाना— इसुआपुर जिला— सारण	हृदय रोग टीओएफ	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	लालझारो देवी पति— राम अयोध्या सिंह ग्राम— दारीडीह टोला पो०— मन्सागढ थाना— सिकरहट्टा जिला— भोजपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			2,40,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196283 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०—



50200060079860 खाता धारक का नाम— Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम— , RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0000477 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2571(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 186783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक ...

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है –

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विशाल कुमार पिता- विश्वनाथ साव ग्राम- कटारी पो०- एकबालगंज निसरपुरा थाना- रानी तालाब जिला- पटना	हृदय रोग एमभीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	गुडडी देवी पति- सुनील कुमार सिंह ग्राम- बंगरी फुलवरिया पो०- बंगरी थाना- पिपराकोठी जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग एमवीआर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			1,85,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,85,000/—(एक लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-“HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20” खाते का प्रकार- चालू, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम..RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

3. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा



चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2572(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Vista Hospital,
1/1103 Near Patna Central School,
Bypass Road, Jaganpura,
Patna- 800027

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सक निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शिवजी माझी पिता- काशी माझी ग्राम- बृदाबन छावर पो०- बृदाबन थाना- उचकागाव जिला- गोपालगज	ट्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	नारायण यादव पिता- विनो यादव ग्राम- चरकापत्थर वार्ड 08 पो०+थाना- चरकापत्थर जिला- जमुई	ब्रेन सर्जरी/ इन्जुरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,60,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 120031898022 खाता धारक का नाम- Vista Hospital Pvt. Ltd., खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- Canara Bank, शाखा का नाम- Patna Central School, Jaganpura, RTGS/IFSC कोड सं०- CNRB0017435 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।



4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2573(14)

पटना, दिनांक

09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०... 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स0स0'14/एम-11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
हाईटेक इमरजेसी अस्पताल
प्रा० लि०, सगुना मोड,
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	अनुदान की राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजिया कुमारी पिता- बालेश्वर प्रसाद ग्राम- थाली पो०- सुग्रही थाना- थाली जिला- नवादा	स्पाइन सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 75,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 2005501735, खाता धारक का नाम- M/s HITECH EMERGENCY HOSPITAL, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम- Saguna More Danapur, Patna, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN0284605 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2574(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०..196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	समिना खातुन पति- शलाउद्दीन अंसारी ग्राम- दरियापुर याकुमबपुर पो०- बेलखाराखास थाना- रामपुर जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	प्रभावती देवी पति- दारोगा यादव ग्राम+पो०- बेलखारा थाना- करपी थाना- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	मालती देवी पति- जनेश्वर सिंह ग्राम- राधे बिगहा पो०- बेलखारा थाना- करपी जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	बूंदी चौहान पिता- काशी बिगहा ग्राम- काशी बिगहा पो०- केनसराय थाना- नारदीगज जिला- नवादा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	रीता देवी पति- मिथलेश चौहान ग्राम+पो0- सभरी थाना- नारदीगंज जिला- नवादा	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
6	सलीमुद्दीन अंसारी पिता- मो0 रोजिद अंसारी ग्राम- दरियापुर पो0- बेलखारा थाना- रामपुर जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	कान्ति देवी पति- राम गोबिंद पासवान ग्राम- दरियापुर पो0- बेलखारा थाना- रामपुर जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	कृष्णा सिंह पिता- हरिद्वार सिंह ग्राम+पो0- बेलखारा थाना- करपी जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	रामजन्म पासवान पिता- राम प्रसाद पासवान ग्राम- दरियापुर पो0- बेलखारा थाना- रामपुर जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	मुन्ना सिंह पिता- मधुनी सिंह ग्राम+पो0- बेलखारा थाना- रामपुर चौरम जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	मनमतिा देवी पति- रघुराम प्रसाद ग्राम- दरियापुर पो0- बेलखारा थाना- रामपुर जिला- अरवल	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	जयमती देवी पति- स्व0 रामप्रवेश सिंह ग्राम- मिल्कीपुर पो0- रहिमापुर थाना- अथमलगोला जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक

ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं० UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ. माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2576(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक.

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	तेतरी देवी पति- तारकेश्वर चौधरी ग्राम- जहर बीघा पो०- सैदाबाद थाना- काको जिला- जहानाबाद	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	कामता प्रसाद यादव पिता- कृत प्रसाद यादव ग्राम- हजरात साईन पो०- हजरात थाना- धनरूआ जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	काति देवी पति- चुन्नी लाल ग्राम- डोरीपर पो०- छाता थाना- मसौढी जिला- पटना	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	राम कुमारी देवी पति- सोमार विन्द ग्राम- डोरीपर पो०- छाता थाना- मसौढी जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	सिहता देवी पति- नरेश प्रसाद ग्राम- मकसूदपुर पो०+थाना- फतुआ जिला- पटना	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	कमलेश ठाकुर पिता-वकील ठाकुर ग्राम-हरबलमपट्टी पोस्ट+थाना-बनियापुर जिला-सारण	CATARACT SUGRERY	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2577(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
वेदान्ता सेंटर फार अपथैलमिक साईंस,
II Floor लीजेन्ड प्लाजा,
नीयर पासपोर्ट आफिस
आशियाना दीघा रोड,
पटना -800014

पटना, दिनांक-

विषय:- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	ललिता मोहन राय पिता- स्व० जवाहर सिंह ग्राम- फुलिया टोला पो०- मुबारकपुर थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	अवधेश राय पिता- बजरजी साइ ग्राम- फुलिया टोला पो०- मुबारकपुर थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	विभा देवी पति- स्व० प्रमोद सिंह ग्राम+पो०- चौदपुरा थाना- निमाचदपुरा जिला- बेगूसराय	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			30,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स० 440030110000048 खाता धारक का नाम- "वेदान्ता सेंटर फार अपथैलमिक साईंस " खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा

का नाम—पटना मेन ब्राच, फ्रेजर रोड, पटना RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004400 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2578 (14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
ए०एस० जी० आई अस्पताल
ओल्ड आर के० एमन्यु
राजेन्द्र नगर, नियर दिनकर गोलम्बर
पटना 800004

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजय कुमार पिता— कैलाश सिंह ग्राम— महम्मदपुर पो०— कोठिया थाना— दीदारगज जिला— पटना	Cataract surgery	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
			₹ 15,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,000/—(पन्द्रह हजार) रू० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०—30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196787 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 016705012140 खाता धारक का नाम—“ए०एस०जी० हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालु बैंक का नाम—आई०सी०आई०सी० आई०, शाखा का नाम—, पटना RTGS/IFSC कोड सं० ICIC0000167 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय

अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

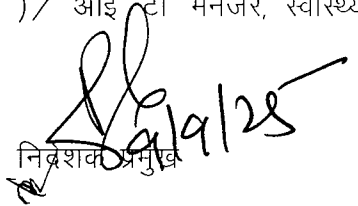
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2579(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०.../196987 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अशोक कुमार पिता— देवकी प्रसाद ग्राम— जयकिशुन बिगहा पो0— जैतिपुर थाना— घोषी जिला— जहानाबाद	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	रामधरी राम पिता— बुरा राम ग्राम+पो0— बलीगाव थाना— आयर जिला— भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	शांति देवी पति— सुरेन्द्र यादव ग्राम— टेम्पल बलीगाव पो0— बलीगाव थाना— आयर जिला— भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	निजाला देवी पति— विक्रमा सिंह ग्राम+पो0— बलीगाव थाना— आयर जिला— भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	सुरेन्द्र यादव पिता— जगनाथ प्रसाद ग्राम+पो0— बलीगाव थाना— आयर जिला— भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	धनपत सिंह पिता- पारसनाथ सिंह ग्राम- टेम्पल बलीगाव पो0- बलीगांव थाना- आयर जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	गुपुत सिंह पिता- आशीवार्द सिंह ग्राम+पो0- बलीगाव थाना- आयर जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	राजेन्द्र साह पिता- काशी नाथ साह ग्राम+पो0- बलीगांव थाना- आयर जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	सोबराती मिया पिता- जवार मिया ग्राम+पो0- गुलजारपुर थाना- सहार जिला- भोजपुर	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	मेहरुन निशा पति- अली हुसैन ग्राम+पो0+थाना- सहार जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	राजपति चौधरी पिता- स्व0 गुलाबचन चौधरी ग्राम+पो0+थाना- सहार जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	राम शिला कुंअर पति- स्व0 बबन साव ग्राम- पियर पो0+थाना- सहार जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
13	फुलबासो देवी पति- मधेश्वर सिंह ग्राम+पो0+थाना- सहार जिला- भोजपुर	LE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
14	पुनम देवी पति- विनोद साव ग्राम+पो0+थाना- परासी जिला- अरवल	RE Cataract	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,40,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196983 द्वारा

आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50200021671321 खाता धारक का नाम— **BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE**, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— **HDFC BANK**, शाखा का नाम— **Patliputra Branch, Kurji (Patna)**, RTGS/IFSC कोड सं0 **HDFC0002643** में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2580(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
Bright Sight Eye Hospital,
26B Saket, 2nd Floor,
Beside Disha Deaddiction Centre,
Patliputra Colony, Patna - 800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनकवा देवी पति— विनोद चौहान ग्राम— काशी बिगहा पो0—सभर थाना— नारदीगज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	सोनामती देवी पति— बालक यादव ग्राम—सिरपटिया पो0— सभरी थाना— नारदीगज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	बालेश्वरी देवी पति— लखन चौहान ग्राम— सिरपटिया पो0— साभरी थाना— नारदीगज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	कमला देवी पिता— रामकेशर महतो ग्राम— डोमवर पो0— मसौढा थाना— नारदीगज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।

5	बेदू यादव पिता— फ़िरगी यादव ग्राम— सिरपटिया पो0— सभरी थाना— नारदीगज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
6	सुनिया देवी पति— कृष्ण चौहान ग्राम— सिरपटिया पो0— सभरी थाना— नारदीगज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
7	श्रीकांत प्रसाद पिता— मोहन महतो ग्राम— डोमवार पो0— मसौडा थाना— नारदीगज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
8	आशा देवी पति— रामाधिन चौहान ग्राम— डोमवर पो0— मसौडा थाना— नारदीगज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
9	जमुनी देवी पति— राजेद्र चौहान ग्राम— सिरपटिया पो0— सभरी थाना— नारदीगज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
10	जिरवा देवी पति— कुलदीप यादव ग्राम— सिरपटिया पो0— सभरी थाना— नारदीगज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
11	लीला देवी पति— प्रकाश चौहान ग्राम— सिरपटिया पो0— सभरी थाना— नारदीगज थाना— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
12	कुमारी देवी पति— रामचंद्र चौहान ग्राम— सिरपटिया पो0— सभरी थाना— नारदीगज जिला— नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

13	बुधनी देवी पति- रामचंद्र ग्राम- सिरपटिया पो0- सभरी थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
14	कृष्ण चौहान पिता- दशाई चौहान ग्राम- सिरपटिया पो0- सभरी थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
15	शिवचन केवट पिता- किसुनी केवट ग्राम+पो0- बगापुर थाना- परवलपुर जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
16	नन्दलाल प्रसाद पिता- गौरी प्रसाद ग्राम+पो0- बगपुर थाना- परवलपुर जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
17	बिमल प्रसाद पिता- जामान प्रसाद महतो ग्राम+पो0- बगपुर थाना- परवलपुर जिला- नालंदा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
18	सीता देवी पति- मुनेश्वर मिस्त्री ग्राम- यादव नगर पो0- न्यू जगनपुरा थाना- रामकृष्ण नगर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
19	फूलेश्वरी देवी पति- कामेश्वर साव ग्राम+पो0- निरजनपुर थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
20	जीरा देवी पति- रामईश्वर साव ग्राम- हरदिया पो0- जयपुर थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
21	विश्वनाथ महतो पिता- अयोध्या प्रसाद ग्राम+पो0- निरजनपुर थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

22	मिथिलेश केशरी पिता- वैद्यनाथ केशरी ग्राम- पहलेजा पो0- जयपुर थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
23	हीरामनी देवी पति- बिहारी प्रसाद ग्राम+पो0- निरजनपुर थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
24	गीता देवी पति- अशोक प्रसाद ग्राम+पो0- निरजनपुर थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
25	रामसागर साव पिता- मोती साव ग्राम+पो0- निरजनपुर थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
26	प्रवीण शर्मा पिता- मानेश्वर शर्मा ग्राम+पो0- मोकर थाना- कडौना जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
27	देवती देवी पति- रामबालक पासवान ग्राम+पो0- उस्फा थाना- गौरीचक जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
28	रामईश्वर पासवान पिता- भोला पासवान ग्राम- सदनपुर पो0+थाना- फतुआ जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
29	बल्लभ राय पिता- नसीब राय ग्राम+पो0- पस्फा थाना- फतुआ जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
30	रुकमणी देवी पति- कारु राम ग्राम- सतैसा पो0- उस्फा थाना- फतुआ जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

31	कोशमी देवी पति- बढन माझी ग्राम+पो0- सेवनान थाना- कडौना जिला- जहानाबाद	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
32	रामयाटान राम पिता- जीपरी राम ग्राम- अब्दुल्लाहचक पो0- उस्फा थाना- फतुआ जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
33	कृष्णा देवी पति- नवल किशोर सिंह ग्राम+पो0- जयपुर थाना- मेहन्दिया जिला- अरवल	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
34	अनीता देवी पति- सुनील कुमार ग्राम- नगौली पो07 बारा थाना- भगवानगज जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
35	श्रवन राम पिता- जगदेव राम ग्राम- रामनगर पो0+थाना- सालीमपुर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
36	उपेन्द्र राम पिता- चदेव राम ग्राम- करौटा बिगहा पो0+थाना- सालीमपुर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
37	जगदीश रविदास पिता- शिवालक रविदास ग्राम- पोखरपर हाउस न0- 06 पो0+थाना- सालीमपुर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
38	चिता देवी पति- राजेद्र सिंह ग्राम- मसुरपुर डीह पो0+थाना- सालीमपुर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
39	मालती देवी पति- बिदा पाल ग्राम- कैरा बिगहा मदिर पो0+थाना- सालीमपुर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

40	असमत देवी पति- राम प्रवेश सिंह ग्राम- चकदौलत पो0- लखनपुरा थाना- बखतियारपुर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
41	धर्मशीला देवी पिता- महेन्द्र पासवान ग्राम+पो0- डोमा थाना- सालीमपुर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
42	रामविलास सिंह पिता- चरित्र सिंह ग्राम- मोगलपुरा पो0+थाना- सालीमपुर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
43	सुमित्रा देवी पति- जगदेव सिंह ग्राम- मुशहरी पो0+थाना- सालीमपुर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
44	बृजमती देवी पति- हरिहर सिंह ग्राम- मुशहरी पो0+थाना- सालीमपुर जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
45	इन्द्रदेव पंडित पिता- मुटुर पंडित ग्राम- सन्धतपर पो0- उस्फा थाना- गौरीचक जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
46	ममता देवी पति- द्वारिका चौहान ग्राम- कज्झा पो0- सभरी थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
47	चमेली देवी पति- राजीव चौहान ग्राम- कुझा पो0- सभरी थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
48	गौरी देवी पति- शिवदनी चौधरी ग्राम- कुझा पो0- सभरी थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

49	विदा चौहान पिता- लखन चौहान ग्राम- भलुआ पो0- सभरी थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
50	रीता देवी पति- किशोर चौहान ग्राम- कुंझा पो0- सभरी थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
51	दुलारी देवी पति- द्वारिका चौहान ग्राम- कुंझा पो0- सभरी थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
52	पतीया देवी पिता- मथुरा चौहान ग्राम- कुंझा पो0- सभरी थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
53	चदेश्वर चौहान पिता- सहदेव चौहान ग्राम- कुंझा पो0- सभरी थाना- नारदीगज जिला- नवादा	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
54	कमला देवी पति- भरद्वाज पाण्डेय ग्राम+पो0- पुनाडीह थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
55	महापति देवी पति- सकल देव सिंह ग्राम- नाथचक पो0- कच्चीदरगाह थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
56	राज कुमार राम पिता- लखन राम ग्राम- कसरा कौआ खोह पो0- कच्चीदरगाह थाना- दीदारगज जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।

57	राम बाबु सिंह पिता— रामेश्वर सिंह ग्राम— निजामपुर पो0— कच्चीदरगाह थाना— दीदारगंज जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
58	महावीर सिंह पिता— नारायण सिंह ग्राम— जीवनचक पो0— कोथाई थाना— दीदारगंज जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
59	छोटे लाल राम पिता— मोती राम राम ग्राम— कसारा पो0— कच्चीदरगाह थाना— दीदारगंज जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
60	बहादुर राम पिता— रज्जू राम ग्राम— कसार पो0— कच्चीदरगाह थाना— दीदारगंज जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
61	शकुंतला देवी पति— अरुण कुमार श्रीवास्तव ग्राम— पुनाडीह पो0— कच्चीदरगाह थाना— दीदारगंज जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
62	अमीरक सिंह पिता— ढाके सिंह ग्राम— ज्ञानचक पो0— कोथाई थाना— दीदारगंज जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
63	कुसुम देवी पति— राम स्वरूप सिंह ग्राम— सोनवा पो0— कोथाई थाना— दीदारगंज जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
64	चंद्रिका सिंह पिता— बाबु राय सिंह ग्राम— निजामपुर पो0— कच्चीदरगाह थाना— दीदारगंज जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत ।
			₹ 6,40,000 /—	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,40,000 /— (छः लाख चालीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 **196983** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0— **18940210000786** खाता धारक का नाम— 'BRIGHT SIGHT EYE HOSPITAL PVT. LTD.' खाते का प्रकार— बैंक का नाम— UCO BANK, KURJEE, PATNA, शाखा का नाम— KURJEE, PATNA, RTGS/IFSC कोड स0 UCBA0001894 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2581(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 **196983** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/9/25
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

लाल बाबू प्रसाद
पिता- सोनेलाल भगत
ग्राम+पो०- माहपुर
थाना- बोचहा
जिला- मुजफ्फरपुर
पिनकोड- 843103

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लाल बाबू प्रसाद पिता- सोनेलाल भगत ग्राम+पो०- माहपुर थाना- बोचहा जिला- मुजफ्फरपुर पिनकोड- 843103	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 176783 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०-1001341010000686, खाता धारक का नाम- LAL BABU PRASAD, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- UTTAR BIHAR GRAMIN BANK, शाखा का नाम-, IFSC कोड स०- CBIN0R10001 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2600(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स०... 176743 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
9/9/25

हमारी ऋण योजनाएँ

- 1 किसान क्रेडिट कार्ड
- 2 कृषि ऋण
- 3 स्वयं सहायता ऋण
- 4 स्वरोपयोग क्रेडिट कार्ड
- 5 टर्न लोन / देसा क्रेडिट कार्ड
- 6 खुदरा व्यापारी ऋण
- 7 निर्वाह ऋण
- 8 शिक्षा ऋण

हमारी जमा योजनाएँ

- 1 दायत खाता
- 2 लान्ग जमा खाता
- 3 आदर्श जमा योजना
- 4 सौदाग जमा योजना
- 5 श्रम कृषि जमा प्रमाण पत्र
- 6 वरिष्ठ सार्वजनिक जमा योजना

हमारी सेवाएँ

NET / MTS / INTER BRANCH TRANSFER

लॉकर सुविधा

ज्यादा जानकारी : www.ubob.in पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

मानव तत्व प्रसाद

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक



UTTAR BIHAR GRAMIN BANK

101117
NP
S/O
MAHILA
Muzaffarpur Pin : 842001
Bank INDIA
Account Number: 1001341010000686 INR
IFSC : CSINCR10001
ICR
NOMINATION NUMBER
Mode of Operation: SELF



शाखा प्रबंधक
Branch Manager

तारीख/Date

11/6
11/6

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
गौतम कुमार
पिता— बासुदेव विश्वकर्मा
ग्राम— बाघोखाप
पो०+थाना— चेरकी
जिला— गयाजी
पिनकोड— 824237

पटना दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गौतम कुमार पिता— बासुदेव विश्वकर्मा ग्राम— बाघोखाप पो०+थाना— चेरकी जिला— गयाजी पिनकोड— 824237	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या— 213(14), दिनांक—30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /— (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०—30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०— 3109511116, खाता धारक का नाम— GAUTAM KUMAR, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— CENTRAL BANK OF INDIA, शाखा का नाम—BOGHGAYA, IFSC कोड सं०— CBIN0280045 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2601(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपका लिए 1947

CENTRAL TO YOU SINCE 1911

Confirmation

BODHGAYA (BIHAR)

Account No: 3109511116

Branch Address And Tel No.:

M. U. CAMPUS

BODHGAYA

8124234

8124234

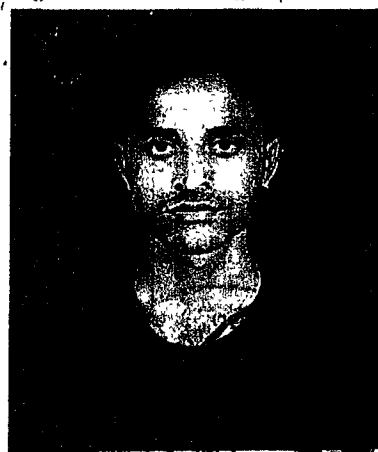
8124234

MTF Code: 824019988

ITF Code: 81242340045

12/01/2011

तारीख / Date



Name And Address Of Account Holder/s:

Mr. GAUTAM KUMAR

S/O BASU DEO VISHWAKARMA

VILL BAGHE KHAP CHERKI

SAHADEV KHAP GAYA

824237

Nomination: Y

OPERATING SINGLY

Toll Free No.: 18002001911

अधिकारी

OFFICER

प्रबंधक

MANAGER

स0 स0 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

रामचन्द्र सिंह
पिता- स्व0 दशरथ सिंह
ग्राम+पो0- करमा
थाना- सूर्यपुरा
जिला- रोहतास
पिनकोड- 802212

पटना दिनांक ..

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक **03.09.2025** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रामचन्द्र सिंह पिता- स्व0 दशरथ सिंह ग्राम+पो0- करमा थाना- सूर्यपुरा जिला- रोहतास पिनकोड- 802212	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु0 1,08,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता स0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 **196983** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स0-3112008800001031, खाता धारक का नाम- **RAM CHANDRA SINGH**, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- **PUNJAB NATIONAL BANK**, शाखा का नाम- **SURAJPURA**, IFSC कोड स0- **PUNB0311200** में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2602(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

31/2008800001031

पाराबुक में प्रयुक्त शब्द-संक्षेप
ABBREVIATIONS USED IN THE PASS BOOK

खाता विवरण/ACCOUNT PARTICULARS

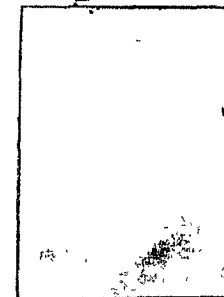
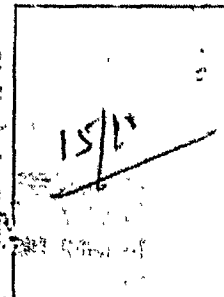
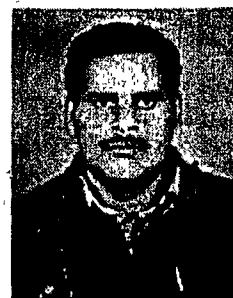
Account No: 821024716
Branch Code: PUNB0311230

Toll free no: 18001802222-Toll free no: 0120-2490000

Local office : telephone no. 011 23716185 fax no: 011-2376994

Place of Branch : SOF
Customer No. : 202228617
Account No. : 8112000800001031 INR
R. RAJ CHANDR SINGH
J/O DASRAT SINGH
ILL AND PO-KARMA
JALAJPURA, DISTT ROHTAS.
INDIA
Pin : 802112
Information not registered
Date of issue : 10-06-2014

ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ	ਭੇਜਿਆ	ਭੇਜਿਆ
Brought Forward	B/F	Inter Sol
ਆਗੇ ਲਿਆਂਦਾ	ਭੇਜਿਆ	ਭੇਜਿਆ
Carried Over	C/O	Interest
ਨਕਦ	ਨਕਦ	ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ
Cash	Cash	Inward Mail Transfer
ਚੈਕ	ਚੈਕ	ਸਥਾਨੀ ਚੈਕ / ਮਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
Cheque	Ch.	Local Cheque/Demand Draft
ਸਮਾਸ਼ੋਧਨ	ਚੈਕ	ਸਥਾਨੀ ਚੈਕ / ਮਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
Clearing	Clg.	National Electronic Fund Transfer
ਕਮੀਸ਼ਨ	ਕਮੀਸ਼ਨ	ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ
Commission	Com.	Outstation Cheques / Bills
ਦਫਤਰ	ਦਫਤਰ	ਬਾਹਰੀ ਚੈਕ / ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ
Discount	Disc.	Outstation Cheques/Bills Purchased
ਲਾਮਤਾਂ ਪੱਤਰ	ਲਾਮਤਾਂ	ਲਾਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖਰਚੇ
Dividend Warrant	DAW	Real Time Gross Settlement
ਡਰਾਫਟ	ਡਾ.	ਵਾਪਸੀ
Draft	Dft.	Returning
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਸ਼ੋਧਨ ਸੇਵਾ	ਈਐਸ	ਅਨੁਵਰਤ
Electronic Clearing Services	ECS	Transfer
ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਚਾਰਜ	ਪ੍ਰਾ.ਚ.	
Incidental Charges	IVC	



ਨਾਮ/Name

ਨਾਮ/Name

ਨਾਮ/Name

ਖਾਤਾਧਾਰਕ/Account Holder-1

ਖਾਤਾਧਾਰਕ/Account Holder-2

ਖਾਤਾਧਾਰਕ/Account Holder-3

प्राधिकारी अधिकारी/प्रबंधक / Authorised Official/Manager
कम्प्यूटर द्वारा सृजित विवरणियों पर किसी अधिकारी द्वारा अभिप्रेमाणित करने / आद्योक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया कम्प्यूटर द्वारा सृजित पाराबुक / विवरणी पर हस्तालिखित (मनुअल) प्रविष्टियों स्वीकार न करें।
Computer generated entries shown in the statement of account do not require any authentication/initial from bank official. Please do not accept any manual entry in your computer generated Pass Book/Statement of account.

बैंक ग्राहक के चेकों को सकारने अथवा भुगतान करने के लिए पिछले दिन के शेर्वा तथा संबंधित दिन में खाने से छटी मिनट इंटरनेट द्वारा आहरित प्रविष्टियों का ध्यान रखें।

Bank shall only honour or pay the cheques of the customers against clear balance upto the previous day and against clear balance including withdrawals made through Internet Banking & ATMs having regard to the withdrawals of the day already made in the account.

कृपया पास बुक न मोड़ें / PLEASE DO NOT FOLD THE PASS BOOK

24 घंटे नि:शुल्क कॉल सेंटर सेवा उपलब्ध है। 1800 180 2222 / 1800 103 2222

Toll free 24 hours call centre 1800 180 2222 / 1800 103 2222

स० स० 14/एम 11- 01/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

दिलीप कुमार

पिता- नन्द लाल महतो

ग्राम+पो०- लगुनिया रघुकुठ

थाना- मुफसिल

जिला- समस्तीपुर

पिनकोड- 848101

पटना दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिलीप कुमार पिता- नन्द लाल महतो ग्राम+पो०- लगुनिया रघुकुठ थाना- मुफसिल जिला- समस्तीपुर पिनकोड- 848101	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 110226985010, खाता धारक का नाम- DILIP KUMAR, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- CANARA BANK, शाखा का नाम- SAMASTIPUR, IFSC कोड सं०- CNRB0017535 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

६/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

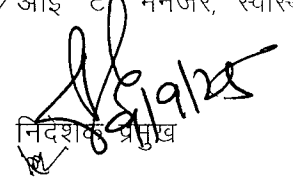
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2603(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196783 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

NAME AND ADDRESS OF BRANCH

SAMASTIPUR
CANARA BANK
FRONT OF B R B COLLEGE, MOHANPUR ROAD
SAMASTIPUR
SAMASTIPUR
BIHAR-848101
HSC Code: CNRB0017535 MICR Code: 848015004
Tel No 0 Fax No
E Mail ID eb17535@canarabank.com
Foreign Exchange/SWIFT Code: CNRBINBBBFD

Details of Banking Ombudsman
Centralized Receipt and Processing Centre (CRPC)
Office of Banking Ombudsman
Reserve Bank of India
4th Floor Central Vista, Sector-17
CHANDIGARH-160017
Toll Free No 14448
Fax No
Online Complaint Registration Portal <https://cms.tbi.org.in>

Account No: 110226985010

Product Name CANARA SB PREMIUM PAYROLL - SILVER
Product Code 148

NAME(S)

DILIP KUMAR

Occupation

SERVICE

Address

WARD 2, LAGUNA RAGHUKANTH SAMASTIPUR
LAGUNA RAGHUKANTH-848101-BIHAR-INDIA
PIN ZIP number 848101

Customer ID 330059848

DOB 16/03/1975 APR 2000

Service On

15-04-2025

Place of Operation

PB Issue Date 15-04-2025

Mobile 919113111165

Email dilip1234@gmail.com

Account NO PTVPK6107D

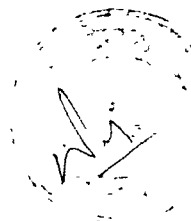
KYC Identifier

Account Reg Y

PPG No

Nominee Name SUNIL

Nominee Reg No 175650005141



Dilip Kumar

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

653(14)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

दिलीप कुमार
पिता- नन्द लाल महतो
ग्राम+पो०- लगुनिया रघुकुठ
थाना- मुफसिल
जिला- समस्तीपुर
पिनकोड- 848101

पटना, दिनांक 04/3/2025

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 27.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका मुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	दिलीप कुमार पिता- नन्द लाल महतो ग्राम+पो०- लगुनिया रघुकुठ थाना- मुफसिल जिला- समस्तीपुर पिनकोड- 848101	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चैंक स० 196811 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०- 110226985010 खाता धारक का नाम- DILIP KUMAR, खाते का प्रकार- बचक खाता, बैंक का नाम- CANARA BANK, शाखा का नाम- SAMASTIPUR - II, IFSC कोड स०- CNRB0017535 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वामाजिन

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
सुधाशु पाठक
पिता- उमेश पाठक
ग्राम- लाला छपरा
पो०+थाना- केसरिया
जिला- पूर्वी चम्पारण
पिनकोड- 845424

पटना दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुधाशु पाठक पिता- उमेश पाठक ग्राम- लाला छपरा पो०+थाना- केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण पिनकोड- 845424	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 33548180097, खाता धारक का नाम- SUDHANSHU PATHAK, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- MOTIHARI, IFSC कोड सं०- SBIN0001763 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

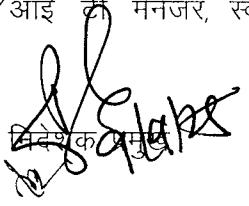
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2604(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025-

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

Generally used abbreviations

Account	dep = Deposit	Pr = Principal
Adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Saving Bank
chg ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Cos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
cc = Collection	lon/in = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commission	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COF/COFR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CP = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
cs = Cost	Pos = Point of sale	+ MOD bal = total balance (SB-linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India



9m Combr
22/11/18

22/11/18

शाखा प्रबंधक
Branch Manager

21

162

Generally used abbreviations

Account	dep = Deposit	Pr = Principal
Adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Saving Bank
chg ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Cls = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
col = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
com = Commission	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
Corr = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CP = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdi = Withdrawal
Csh = Cash	Pos = Point of sale	- MOD bal = total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India



शाखा प्रबंधक
Branch Manager

9th Contn
27/11/18

21

162



स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

राजीव रजन गुप्ता
पिता- स्व० सुरेश चन्द्र गुप्ता
ग्राम- सदर बाजार दानापुर
पो०- दानापुर कैट
थाना- दानापुर
जिला- पटना
पिनकोड- 801503

पटना दिनांक... ..

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए विशेष परिस्थिति में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजीव रजन गुप्ता पिता- स्व० सुरेश चन्द्र गुप्ता ग्राम- सदर बाजार दानापुर पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना पिनकोड- 801503	Post Kidney Transplant Medicine	58,000	अन्ठावन हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			रु० 58,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 58,000 / - (अन्ठावन हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 50100243079387, खाता धारक का नाम- RAJIV RANJAN GUPTA, खाते का प्रकार- SAVINGS A/C, बैंक का नाम- HDFC BANK LTD, शाखा का नाम- NEAR DINAPUR POLICE STATION, IFSC कोड स०- HDFC0004226 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

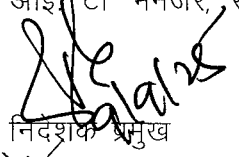
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2605(14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196982 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
HDNA AAROGYAM HOSPITAL,
IAS Colony, Behind Damro Furniture Showroom,
Off Rupaspur Flyover, Bailley Road, Rupaspur,
Patna - 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 03.09.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	जयसवेन्द्र कुमार यादव पिता- रामलला यादव ग्राम- रामनगर पो0+थाना- बथनाहा जिला- सीतामढ़ी	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

- उक्त अनुदान की कुल राशि 3,00,000/- (तीन लाख) मात्र का क्रास चेक स0.../196981...
...मूल रूप में संलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2575 (14)

पटना, दिनांक 09/9/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीज के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख